

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23( )स्था/आकाशि/RVRES/19/२।

दिनांक 15 जनवरी, 20१०

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।


विषय:- RVRES श्रेणी के व्याख्याताओं/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को दिनांक 30.12.2008 से पूर्व कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान तथा पे बैण्ड-4 का लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त व्याख्याताओं/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को पूर्व में अनुदानित संस्थाओं द्वारा कतिपय कारणों से दिनांक 30.12.2008 से पूर्व कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान तथा पे बैण्ड-4 का लाभ स्वीकृत नहीं किया गया है।

अतः आपके महाविद्यालय में कार्यरत/सेवानिवृत्त ऐसे व्याख्याताओं/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों जिन्हें दिनांक 30.12.2008 से पूर्व कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान तथा पे बैण्ड-4 का लाभ स्वीकृत नहीं किया गया है कि सूचना संलग्न प्रारूप में 10 दिवस में इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
(प्रदीप कुमार बोरडे)

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



## Lecturer (RVRES) PROPOSAL FOR (Senior Scale / Selection Scale / Pay Band-IV)

S. No.	Name of Lecturer	Subject	D.O.B	Date of M.Phil	Date of Ph. D.	Date of Joining in Gri. Ad. .College	Date of Joining in Govt.College	Date of Senior Scale Granted/Due Date	Date of Selection Scale Granted/Due Date	Date of Pay Band-IV (Due Date)	Orientation Course	Refresh Course-1	Refresh Course-2	Refresh Course-3
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
1														
2														
3														
4														
5														

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय